राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने दिया नवदंपत्ति को आशीर्वाद

करनाल। जिला परिषद सदस्य एवं टीम दीपेंद्र के प्रदेश संयोजक अमित बराना के भाई अमन की शादी समारोह में सांसद (राज्यसभा) दीपेंद्र हुड्डा समेत कई विधायकों व राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया। करनाल के अनमोल गार्डन में अमन और पूजा परिणय सूत्र में बंधे, विवाह समारोह में दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही प्रदेश और शहर की कई हस्तियां पहुंचीं थीं।

विवाह कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वर-वधु को सुखी वैवाहिक जीवन शुरू करने की बधाई और शुभकामनाएं दीं। पंडाल में उनकी मौजूदगी के कारण समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और फूल, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। गैर राजनीतिक रंग में दिखे दीपेंद्र हुड्डा ने परिवार वालों के साथ विवाह की खुशियां साझा कीं और समर्थकों को एकजुट होने का मंत्र दिया। उनके साथ ही कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, इसराना के विधायक बलबीर वाल्मीकि, लाडवा के विधायक मेवा सिंह, पूर्व विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, अमित बराना, मेहर सिंह सरपंच, एडवोकेट नरेश बराना, कॉपरेटिव बैंक चेयरमैन सुरेश बराना सेठी व पुंडरी से सुनीता बत्तान ने भी मौके पर पहुंचकर वर-वधू को आर्शीवाद दिया।

मॉडल टाउन में रिहायशी नक्शे पर बन रही थी व्यावसायिक इमारत, नगर निगम ने सील की

करनाल। शहर के मॉडल टाउन में गुरू तेग बहादुर स्कूल व पतंजलि स्टोर के सामने स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन कर बनाई ज ा रहे दो भवनों की निर्माणाधीन इमारतों को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया। इन दोनो जगहों पर सम्बंधित मालिक द्वारा रिहायशी नक्शा पास करवाकर व्यवसायिक ईमारत बनाए जाने की बात निगम अधिकारियों के संज्ञान में आई थी।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने शहर में अवैध निर्माण सख्ती से रोकने के आदेश दे रखे हैं। आदेश के पालन में निगम की निगरानी टीमें शहर में अनधिकृत निर्माण पर नजर रखे हुए है और जो भी अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम की जिला नगर योजनाकार टीम ने उक्त ईमारतों पर कार्रवाई करते हुए गुरूवार को उन्हें सील कर दिया। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अदिति ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगरानी टीम शहर में विजिट पर रहती है, विजिट के दौरान उपरोक्त भवनों पर टीम की नजर पड़ी। पता लगाने पर मालूम हुआ कि इसका रिहायशी नक्शा पास करवाया गया है, परंतु निर्माण व्यवसायिक किया जा रहा है। नियमानुसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता। अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए निगम की ओर से भवन के मालिक को दो नोटिस जारी किए गए थे तथा अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। परंतु उन लोगों द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और न ही नोटिस की पालना की गई तथा निर्माण कार्य चालू रखा। तत्पश्चात उक्त भवन को सील करने की कार्रवाई प्रारम्भ

की गई, परिणामस्वरूप नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 250, 254, 261, 263, 263 ए (1) तथा 265 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। सीलिंग से पूर्व सम्बंधित भवन मालिकों को सीलिंग नोटिस भी जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि सील करने गई टीम में सहायक नगर योजनाकार संदीप राठी, भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व प्रशांत राणा तथा टीम मौजूद रही। खास बात यह है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ।

संयुक्त आयुक्त अदिति ने कार्रवाई के बाद कहा कि अनाधिकृत निर्माण को लेकर नगर निगम सख्ती बरते हुए है, अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम की निगरानी टीमें ऐसे निर्माण को रोकने के लिए निरंतर शहर का दौरा करती रहती हैं। जो भी अवैध निर्माण दिखाई देता है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनधिकृत निर्माण को लेकर नागरिकों की ओर से जो भी शिकायतें नगर निगम में आएंगी, उन पर भी अवश्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अवैध निर्माण न करें और न ही अपने आसपास कोई अवैध निर्माण होने दें। अगर कहीं पर अवैध निर्माण हो रहा है, तो नागरिक उसकी शिकायत नगर निगम कार्यालय में दें। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेंगी।

डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के कार्यालय में 'आपसी भाईचारे' की चर्चा

करनाल। नियम कानून ताक पर रख कर पैसा कमाने के लिए बदनाम डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर कार्यालय मे जीएसटी कर्मचारी और कारोबारियों के बीच 'आपसी भाईचारे' की चर्चा जोरों पर है। भाईचारे का फायदा कारोबारी और जीएसटी अधिकारी ऊपरी कमाई कर उठा रहे हैं, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है तो होती रहे।

प्रदेश को राजस्व की हानि पहुंचाने में जीएसटी विभाग के अधिकारियों की अहम भूमिका है। जीएसटी नियम के अनुसार प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान के मुख्य बोर्ड पर फर्म का नाम और जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य है। न लिखने की सूरत में 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन शहर में 90 प्रतिशत कारोबारियों ने अपने मुख्य बोर्ड पर जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ है।

विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी न निभाते हुए हाथ पैर हाथ रख कर बैठे हुए हैं क्योंकि ये दुकानदारों उन्हें अतिरिक्त कमाई करवाते हैं। अगर अधिकारी नियम अनुसार नियम की पालना करवाने लगे तो सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन इससे अधिकारियों को शाबाशी के अलावा कुछ खास नहीं मिलेगा। सरकार वसूले गए राजस्व का एक अंश समाज कल्याण के लिए खर्च करती है लेकिन इससे इन अधिकारियों का कल्याण नहीं होता। इसलिए इन अधिकारियों को दुकानदारों से भाईचारा निभाना पड़ता है।

करनाल बिक्री कर व जीएसटी विभाग के अधिकारी इन कारोबारियों, दुकानदारों से दोनों हाथों से सुविधा शुल्क बटोर रहे हैं। इसी कारण दुकानदारों की मलाई खाने वाले अधिकारी विभाग को सूचना दिए जाने के बावजूद भी नियमों की पालना नहीं करवा रहे हैं।

बताते चलें कि गत वर्ष सामाजिक कार्य कर्ता ने कुछ दुकानदारों के बोर्ड की फोटो खींचकर बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी कि उक्त दुकानदारों ने अपने कारोबार स्थल के मुख्य बोर्ड पर जीएसटी नंबर नहीं लिखा है। नियमानुसार तो अधिकारियों को उन दुकानदारों से 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूल करना था लेकिन सांठगांठ करके भाईचारा निभाते हुए मामले को रफा कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों को भी कारोबारी से सांठ गांठकर उनके बोर्ड पर अलग से एक छोटी सी चेपी और दुकान के फ्रंट के शीशे पर एक जीएसटी नंबर का एक स्टीकर के ऊपर चिपकवा शिकायत को रहा दफा कर दिया। गौरतलब है कि एक दुकानदार प्रयाग मार्केटिंग कंपनी के नाम से जूता विक्रेता का जीएसटी नंबर लिया। उसने दुकान के मुख्य बोर्ड पर प्रयाग मार्केटिंग न लिखकर फुट के नाम से करीब 9 फुट लंबा बोर्ड बनवा दिया जिस पर जीएसटी नंबर न था और न ही फर्म का नाम प्रयाग मार्केटिंग लिखवाया गया। जिसकी सूचना विभाग को दी गई। जांच अधिकारी ने उसको दंडित करने की बजाय सांठगांठ करके उसके ऊपर जीएसटी नंबर तथा प्रयाग मार्केटिंग नाम का डेढ़ इंच चौड़ा और करीब डेढ़ फीट लंबा स्टिकर लगवा कर मामले को रफा दफा कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि बोर्ड अगले वर्ष दोबारा उसी दुकानदार ने फिर बनवाया जिस पर न तो अपनी फर्म का नाम प्रयाग माकेटिंग और न ही जीएसटी नंबर लिखा गया। दुकानदार ने फिर से फुट के नाम से बोर्ड लगवा दिया।

जिसकी शिकायत जानकारी विभाग को दी गई। विभाग के अधिकारियों ने उसे करके फिर से डेढ़ दो फीट का प्रयाग मार्केटिंग नाम का बोर्ड उस बोर्ड के ऊपर अलग से लगवा दिया लेकिन नियमों की उल्लंघना करने की कोई कार्रवाई न की गई। जाहिर है कि कोई अधिकारी यह भाईचारा मुफ्त में तो निभाएगा नहीं, कोई न कोई सांठगांठ जरूर की गई होगी।

शिकायतकर्ता ने जब इस बारे जानकारी चाही तो ईटीओ शिवकुमार ने यह कहते हुए उसे एक बार मौका दिया जाता है, शिकायतकर्ता का मुंह बंद कर दिया। इस

मामले में दुकानदार ने नए बोर्ड पर जानबूझ कर जीएसटी नंबर नहीं दर्ज किया और फर्म का नाम भी जीएसटी पंजीकरण से अलग लिखा गया। यह गलती नहीं बल्कि जानबूझकर अपराध करने का मामला है। दुकानदार ने विजिटिंग काड्र्स भी प्रयाग मार्केटिंग की जगह प्रयाग फुट्स के नाम से छपवा रखे हैं। जाहिर है दुकानदार ने नजराना देकर साहब को मना लिया होगा। अगर अधिकारी मनमानी काम करेंगे तो नियम बनाने की जरूरत ही नहीं रही। सरकार को राजस्व की हानि ही तो होगी, अधिकारियों की मौज रहेगी।

जब शिकायतकर्ता डिप्टी एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर से मिला तो उन्होंने लिखित में जानकारी मांगी। उन्होंने शिकायत की जांच का आदेश डीटीआई को सौंप दी है, अब देखना है कि डीटीआई ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट पेश बनाता है या वह भी भाईचारे में विश्वास करता है।